<u>प्रकरण संख्या 129/2017 रामगोपाल बनाम सरकार व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.09.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिसारमा में साबिक आराजी नंबर 430 मी. रकबा 38½ बीघा भूमि स्थित थी, जिसके कुछ भाग के आवंटन हो जाने के बाद नये आराजी नंबर 1447 रबका 4.5500 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर वादी का अपने बाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है, परन्तु रेकार्ड अनुसार कब्जा 40 वर्षो से निरन्तर बिना बेरोकटोक शांन्ति पूर्वक चला आ रहा है। उक्त जमीन वादी की खातेदारी भूमि से मिली हुई है तथा वादी अपनी खातेदारी जमीन पर बने मकान में ही निवास कर रहा है। उक्त भूमि के चारों ओर वादी की पत्थर की कोट बनी होकर फसल बो रखी है तथा कुछ जमीन पर गाय, भैस भी रख रखी है तथा डेयरी भी चलाता है। वादी का कब्जा संवत् 2027 एवं 2031 से 2034, 2035 से 2038 की जिंस गिरदावरी में साबिक आराजी नंबर 430 मी, में 10 बीघा पर दर्शा रखा है। संवत् 2038 में से 11 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा दर्शा रखा है। इसी प्रकार संवत् 2039 से 2043 तक पी–14 में वादी का नाजायज कब्जा दर्शा रखा है। संवत् 2045 से 2048 की जिन्स गिरदावरी में आराजी नंबर 1447 रकबा 2.4000 हैक्टर पर वादी का कब्जा दर्शा रखा है। इसी प्रकार संवत् 2048 से 2054 तक पी–14 में वादी का कब्जा दर्शा रखा है। इसी प्रकार जिन्स गिरदावरी संवत् 2056 से 2059, 2061 से 2064 तक में भी वादी का कब्जा दर्शा रखा है। इस प्रकार रेकार्ड अनुसार वादी संवत् 2027 से अर्थात करीब 40 वर्षो से आज दिनांक तक निरन्तर काबिज चला आ रहा है तथा समय–समय पर वादी के विरूद्ध धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही भी चली, किन्तु वादी को मौके से कभी भी बेदखल नहीं किया गया। नाजायज कब्जे के संबंध में जो पेनाल्टी लगायी गयी उसे वादी ने बराबर जमा कराया है। इस प्रकार सरकारी भूमि पर वादी का कब्जा 30 वर्षो से अधिक समय का होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी कानूनन खातेदार काश्तकार बन चुका है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में भूमि बिलानाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबर 1447	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:34 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 2.4000 हैक्टर का वादी का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे एवं वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया गया। प्रकरण में दिनांक 12.12.2011 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तीन तनकियां कायम की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 11.07.2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24.08.2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री कमलेश चौहान हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री विजय कुमार चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर उसके साथ मौके के फोटोग्राफ्स व सी.डी. प्रस्तुत कर न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया, किन्तु उक्त दस्तावेज मात्र फोटोग्राफ्स व सी.डी. हैं, जिसे इस स्तर पर रेकार्ड पर लिया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। अपीलान्ट आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के तहत जो भी साक्ष्य सबूत पेश करना चाहता है, वह अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करे।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय प्रकरण में तीन तनकियात कायम की परन्तु तनकियों का बिना विवेचन किये प्रकरण कैम्प में रखकर अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्ट का रेकार्ड अनुसार प्रतिकूल कब्जा साबित है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड आयी शहादत पर कोई विवेचन नहीं किया है। वक्त दावा भूमि यू.आई.टी. के नाम दर्ज नहीं थी, दौराने दावा यू. आई.टी. के नाम का इन्द्राज किया गया है, जो एबइनिश्योवोइड होकर बिना अधिकार के है। [illegible] न्यायालय ने कयासी आधारों पर कानूनी बिन्दुओं को [illegible] करते हुए निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण हो[illegible] से निरस्त की जावे तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:34 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट का वाद डिक्री फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार देय नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2011 को तीन तनकियां कायम की गयी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि पत्रावली दिनांक 22.02.2017 को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम (1) (3) जा.दी. हेतु दिनांक 17.05.2017 के लिए नियत थी एवं दिनांक 17.05.2017 को प्रकरण में कैम्प हेतु दिनांक 09.08.2017 के लिए पेशी नियत की गयी, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र का बिना जवाब लिए उक्त दिनांक से पूर्व ही दिनांक 11.07.2017 को पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जो प्रथम दृष्टया न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 272/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम (1) (3) जा.दी. का जवाब प्राप्त कर तथा उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.11.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:34 IST
Reason: SelfAttested

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर